**भारत सरकार**
**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**
**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 413**
**उत्तर देने की तारीख: 02.12.2025**

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों को सहायता**

**413. श्री अजय भट्टः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार, विशेषकर उत्तराखंड में, कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/महिला उद्यमियों को रोज़गार के अवसर दिए गए?

**उत्तर**
**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री**
**(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)**

**(क):** जी, हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति की महिला उद्यमियों की सहायता करने के लिए कई कदम उठा रहा है-

i. वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी) अनुसूचित जाति की महिलाओं को 3.75% की ब्याज दर पर रियायती वित्त देता है। मंत्रालय ने अनुसूचित जाति की युवा महिला प्रवर्तकों को 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने के लिए अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इन्कयूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) भी शुरू किया है।

ii. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को रियायती ऋण देता है, जिसमें 3 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाएं भी शामिल हैं। यह ऋण 45 लाख रुपये तक के मियादी ऋण और 1.25 लाख रुपये तक के सूक्ष्मवित्त ऋण के ज़रिए दिया जाता है। एनएसएफडीसी महिला लाभार्थियों की 40% कवरेज भी सुनिश्चित करता है और सार्वजनिक प्रापण नीति के तहत बाजार संपर्क और अवसरों की सुविधा प्रदान करता है जिसमें महिलाओं के मालिकाना हक वाले एमएसई के लिए 3% प्रापण का निर्धारण किया गया है।

iii. अनुसूचित जनजातियों के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2025 को अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एसटी) लॉन्च किया है। यह 4% ब्याज पर 10 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच रियायती वित्त देता है, साथ ही अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अतिरिक्त 0.25% रियायत (प्रभावी 3.75%) है। यह योजना 30 लाख रुपये तक इनक्यूबेशन सहायता भी देती है, और यह भी व्यवस्था है कि कम से कम 30% लाभार्थी महिलाएं हों।

iv. इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) उत्तराखंड समेत पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के ज़रिए रियायती ऋण देता है। अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां 3.00 लाख रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा के अध्यधीन सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

**(ख):** विगत तीन वर्षों में वीसीएफ-एससी और अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इन्कयूबेशन मिशन के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/महिला उद्यमियों (उत्तराखंड समेत) की राज्य-वार संख्या का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

विगत तीन वर्षों में देश में स्वरोजगार के अवसरों के लिए एनएसएफडीसी से वित्तीय सहायता पाने वाले अनुसूचित जाति/महिला उद्यमियों की राज्य-वार संख्या का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एसटी) के तहत देश भर में स्वीकृत वित्तीय सहायता वाले अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की कुल संख्या 4 है और इनमें से 3 महिला उद्यमी हैं।

विगत तीन वर्षों में एनएसटीएफडीसी से सहायता पाने वाले राज्य-वार (पुरुष-महिला) लाभार्थियों का विवरण **संलग्नक-III** में दिया गया है।

**संलग्नक-I**

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों को सहायता से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 413, जिसका उत्तर 02.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक-I**

| **वीसीएफ-एससी के अंतर्गत उद्यमिता** | | | |
|---|---|---|---|
| | राज्य | अनुसूचित जाति उद्यमी | महिला उद्यमी |
| | | | |
| वित वर्ष 2021-22 से नवंबर 2025 तक | आंध्र प्रदेश | 7 | 1 |
| | छतीसगढ़ | 2 | 1 |
| | गुजरात | 2 | 1 |
| | हरियाणा | 4 | 0 |
| | हिमाचल प्रदेश | 5 | 2 |
| | झारखंड | 3 | 1 |
| | कर्नाटक | 12 | 6 |
| | मध्य प्रदेश | 2 | 1 |
| | महाराष्ट्र | 50 | 12 |
| | ओडिशा | 3 | 1 |
| | पंजाब | 1 | 0 |
| | तमिलनाडु | 4 | 0 |
| | तेलंगाना | 33 | 0 |
| | उत्तर प्रदेश | 2 | 0 |
| | **उत्तराखंड** | **2** | **1** |
| | पश्चिम बंगाल | 2 | 0 |
| | कुल योग | 134 | 27 |

| | **अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता** | | |
|---|---|---|---|
| | **राज्य** | **कुल उद्यमी** | **महिला उद्यमी** |
| वर्ष 2021-22 से नवंबर 2025 तक | असम | 3 | 0 |
| | दिल्ली | 4 | 0 |
| | गुजरात | 7 | 2 |
| | कर्नाटक | 5 | 3 |
| | महाराष्ट्र | 42 | 9 |
| | मणिपुर | 5 | 1 |
| | ओडिशा | 1 | 1 |
| | पंजाब | 2 | 0 |
| | तमिलनाडु | 8 | 1 |
| | तेलंगाना | 2 | |
| | **उत्तराखंड** | **1** | **0** |
| | उत्तर प्रदेश | 3 | 3 |
| | **कुल** | **83** | **20** |

**संलग्नक-II**

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों को सहायता से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 413, जिसका उत्तर 02.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक-II**

| क्र.सं. | राज्य | 2022-2023 | | 2023-2024 | | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लाभार्थियों की कुल संख्या | महिला लाभार्थियों की संख्या | लाभार्थियों की कुल संख्या | महिला लाभार्थियों की संख्या | लाभार्थियों की कुल संख्या | महिला लाभार्थियों की संख्या |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 2997 | 1454 | 11571 | 10462 | 8229 | 7053 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | असम | 20 | 5 | 952 | 375 | 164 | 51 |
| 5 | बिहार | 5018 | 1996 | 2652 | 1063 | 211 | 45 |
| 6 | चंडीगढ़ | 75 | 37 | 11 | 6 | 7 | 1 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 325 | 140 | 265 | 105 | 305 | 129 |
| 8 | दादरा नगर हवेली दमन और दीव | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | दिल्ली | 334 | 143 | 14 | 3 | 77 | 24 |
| 10 | गोवा | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | गुजरात | 347 | 115 | 81 | 33 | 394 | 143 |
| 12 | हरियाणा | 1441 | 759 | 1486 | 642 | 478 | 216 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 726 | 349 | 453 | 159 | 1136 | 876 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 11 | 3 | 321 | 156 | 42 | 8 |
| 15 | झारखंड | 1945 | 773 | 111 | 29 | 88 | 17 |
| 16 | कर्नाटक | 2932 | 1361 | 2280 | 975 | 2828 | 1365 |
| 17 | केरल | 6119 | 4306 | 5486 | 4192 | 7632 | 6792 |
| 18 | लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 61 | 16 | 838 | 250 | 374 | 100 |
| 21 | महाराष्ट्र | 6215 | 3442 | 752 | 460 | 1123 | 583 |
| 22 | मणिपुर | 42 | 24 | 2 | 1 | 37 | 20 |
| 23 | मेघालय | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 24 | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 29 |
| 25 | नागालैंड | 4 | 2 | 0 | 0 | 69 | 36 |
| 26 | ओडिशा | 1209 | 490 | 654 | 356 | 245 | 72 |
| 27 | पुदुचेरी | 2397 | 1324 | 2993 | 1808 | 1877 | 1196 |
| 28 | पंजाब | 3972 | 1642 | 5741 | 1640 | 6095 | 3012 |
| 29 | राजस्थान | 4494 | 1887 | 1905 | 527 | 785 | 170 |
| 30 | सिक्किम | 5 | 2 | 4 | 3 | 24 | 10 |
| 31 | तमिलनाडु | 3378 | 1465 | 14548 | 8309 | 5588 | 3950 |
| 32 | तेलंगाना | 6535 | 5898 | 2606 | 2401 | 390 | 151 |
| 33 | त्रिपुरा | 676 | 198 | 1578 | 618 | 127 | 22 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 2390 | 988 | 7700 | 2139 | 2647 | 619 |
| 35 | उत्तराखंड | 23 | 8 | 246 | 72 | 267 | 83 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 30293 | 30116 | 20120 | 20050 | 445 | 91 |
| | **कुल:** | **83988** | **58944** | **85372** | **56835** | **41750** | **26868** |

**संलग्नक- III**

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों को सहायता से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 413, जिसका उत्तर 02.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक-III**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरुष लाभार्थी | महिला लाभार्थी | पुरुष लाभार्थी | महिला लाभार्थी | पुरुष लाभार्थी | महिला लाभार्थी |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1882 | 11787 | 2429 | 24792 | 643 | 12256 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 216 | 1619 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| 3 | असम | | | 23 | 20 | 13 | 8 |
| 4 | बिहार | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 730 | 486 | 210 | 293 | 4096 | 741 |
| 6 | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | गोवा | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | गुजरात | 221 | 5003 | 5215 | 6633 | 9414 | 9047 |
| 9 | लद्दाख | | | | | 9 | 4 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 59 | 61 | 1 | 1 | 16 | 17 |
| 11 | जम्मू और कश्मीर | 278 | 257 | 54 | 52 | 371 | 38 |
| 12 | झारखंड | 644 | 112 | 216 | 1487 | 71 | 64 |
| 13 | कर्नाटक | 838 | 1089 | 571 | 432 | 757 | 611 |
| 14 | केरल | 148 | 518 | 41 | 217 | 213 | 354 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 3406 | 7451 | 624 | 204 | 1203 | 379 |
| 16 | महाराष्ट्र | 894 | 310 | 1193 | 335 | 811 | 194 |
| 17 | मणिपुर | 19 | 38 | 79 | 95 | 25 | 40 |
| 18 | मेघालय | 783 | 444 | 1166 | 27 | 68 | 44 |
| 19 | मिजोरम | 1648 | 1936 | 1827 | 2746 | 1202 | 2327 |
| 20 | नागालैंड | 1 | 0 | 93 | 678 | 58 | 224 |
| 21 | ओडिशा | 2200 | 2137 | 6049 | 10976 | 5533 | 9512 |
| 22 | राजस्थान | 1384 | 472 | 660 | 225 | 875 | 216 |
| 23 | सिक्किम | 0 | 0 | 17 | 10 | 24 | 22 |
| 24 | तेलंगाना | 365 | 11496 | 3766 | 7603 | 442 | 10335 |
| 25 | तमिलनाडु | 1964 | 1439 | 3328 | 3999 | 2968 | 3469 |
| 26 | त्रिपुरा | 10 | 10 | 1637 | 597 | 524 | 45 |
| 27 | उत्तराखंड | 154 | 90 | 6 | 2 | 317 | 311 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | | | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 687 | 7706 | 540 | 3946 | 416 | 8412 |
| | **कुल** | **18531** | **54461** | **29765** | **65377** | **30079** | **58679** |

*****